

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण /PBR/2016 जिला-गुना

46
A.J. 1321 - PBR-10

इफतखार हुसैन पुत्र जुल्फकार हुसैन, सचिव,
बोहरा समाज, गुना, निवासी बोहरा मस्जिद
के सामने, गुना, (म.प्र.) -- आवेदक

विरुद्ध

शैलेन्द्र राजपूत पुत्र श्री रघुनाथ सिंह,
निवासी बाहुबलीपुरम, गुना
तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री. राजेश चतुर्वेदी कृषि.
दाख आज दि. 25.4.16 को
प्रस्तुत

25.4.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर



न्यायालय तहसीलदार, गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/ 2015-16
में पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व की
संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

[Handwritten signature]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1321-पीबीआर/16 जिला गुना

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। अर्नावेदक अधिवक्ता श्री एस0के0वाजपेयी उपस्थित। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 4-2-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p> मीडर</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	